वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 30

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण

क. वसूलियों तथा राजस्व प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		१४२२५.८६	१६२५९.००	३०४८४.८६	१५११२.१०	१४७९३.६७	२९९०५.७७	१७३६०.००	१७०७१.९५	३४४३१.९५
पूंजी		*१८४८९.१४*	...	*१८४८९.१४*	*१९०६८.२३*	...	*१९०६८.२३*	*२४१७७.००*	...	*२४१७७.००*
जोड़		**३२७१५.००**	**१६२५९.००**	**४८९७४.००**	**३४१८०.३३**	**१४७९३.६७**	**४८९७४.००**	**४१५३७.००**	**१७०७१.९५**	**५८६०८.९५**
राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदानः										
आयोजना-भिन्न अनुदान										
1. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	३६०१	...	१५९३४.००	१५९३४.००	...	१३५४३.६७	१३५४३.६७	...	१६५४६.९५	१६५४६.९५
2. रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अनुदान	३६०१	...	...	...	...	१.६८	१.६८	...	...	...
	८२३५	...	...	...	...	-१.६८	-१.६८	...	...	...
रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अनुदान से पूरी की गई राशि	*निवल*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के एवज़ में अनुदान	३६०२	...	३२५.००	३२५.००	...	३२५.००	३२५.००	...	३२५.००	३२५.००
4. गुजरात सरकार को आयोजना भिन्न अनुदान	३६०१	...	...	...	...	७५०.००	७५०.००	...	...	...
राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिमः										
आयोजना-भिन्न ऋण										
5. अर्थोपाय अग्रिम										
5.01 अदायगियां	७६०१	...	२०००.००	२०००.००	...	३०००.००	३०००.००	...	२०००.००	२०००.००
5.02 घटाइए-वर्ष के दौरान वसूलियां	७६०१	...	-२०००.००	-२०००.००	...	-३०००.००	-३०००.००	...	-२०००.००	-२०००.००
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. मिजोरम, सरकार को अनुदान के रूप में ऋणों का रूपांतरण	३६०१	...	...	...	...	१००.००	१००.००	...	...	...
7. राज्य सरकारों को बट्टे खाते डाले गए ऋण	२०७५	...	...	...	...	७५.००	७५.००	...	२००.००	२००.००
राज्यों की आयोजनागत स्कीमों के लिए अनुदान/ऋणः										
8. एकमुश्त अनुदान	३६०१	१४२२५.८६	...	१४२२५.८६	१५११२.१०	...	१५११२.१०	१७३६०.००	...	१७३६०.००
9. एकमुश्त ऋण	७६०१	१८३१४.१४	...	१८३१४.१४	१९०६८.२३	...	१९०६८.२३	२४१७७.००	...	२४१७७.००
10. ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऋण	७६०१	१७५.००	...	१७५.००	...	...	...	...	...	...
प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत										
11. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण	२२४५	...	२०००.००	२०००.००	...	१५००.००	१५००.००	...	१६००.००	१६००.००
घटाइए-आय कर/निगम कर पर अधिभार	००२१	...	-२०००.००	-२०००.००	...	-१५००.००	-१५००.००	...	-१६००.००	-१६००.००
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता	३६०१	...	२०००.००	२०००.००	...	१६००.००	१६००.००	...	१६००.००	१६००.००
घटाइए-एन.सी.सी.एफ.से अंतरण द्वारा पूरी की गई राशि	८२३५	...	-२०००.००	-२०००.००	...	-१६००.००	-१६००.००	...	-१६००.००	-१६००.००
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***३२७१५.००***	***१६२५९.००***	***४८९७४.००***	***३४१८०.३३***	***१४७९३.६७***	***४८९७४.००***	***४१५३७.००***	***१७०७१.९५***	***५८६०८.९५***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता	४३६०१	१८१३४.००	...	१८१३४.००	१६८१९.८५	...	१६८१९.८५	२०१७२.००	...	२०१७२.००
2. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	४३६०१	६५००.००	...	६५००.००	८५००.००	...	८५००.००	६५००.००	...	६५००.००
3. अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	४३६०१	१२०.००	...	१२०.००	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

		बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
4. विशेष आयोजनागत ऋण	४३६०१	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. विशेष केन्द्रीय सहायता-पर्वतीय क्षेत्र	४३६०१	१६०.००	...	१६०.००	१६०.००	...	१६०.००	१६०.००	...	१६०.००
6. विशेष केन्द्रीय सहायता-सीमा क्षेत्र	४३६०१	२४०.००	...	२४०.००	२४०.००	...	२४०.००	२६०.००	...	२६०.००
7. अग्रिम आयोजनागत सहायता	४३६०१	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. विशेष केन्द्रीय सहायता	४३६०१	...	...	...	१२५.००	...	१२५.००	...	...	...
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए संसाधनों के केन्द्रीय पूल से सहायता	४३६०१	...	...	...	५००.००	...	५००.००	...	...	...
10. न्यूनतम बुनियादी सेवाएं	४३६०१	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11. प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई)	४३६०१	२८००.००	...	२८००.००	२५३३.००	...	२५३३.००	२८००.००	...	२८००.००
12. गन्दी बस्ती विकास	४३६०१	३८६.००	...	३८६.००	३४१.११	...	३४१.११	३६५.००	...	३६५.००
13. विशेष आयोजना सहायता	४३६०१	७००.००	...	७००.००	१०००.००	...	१०००.००	७००.००	...	७००.००
14. त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना	४३६०१	२०००.००	...	२०००.००	२०००.००	...	२०००.००	२८००.००	...	२८००.००
15. अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	४३६०१	...	...	...	१५११.३७	...	१५११.३७	...	...	...
16. त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम	४३६०१	१५००.००	...	१५००.००	४५०.००	...	४५०.००	३५००.००	...	३५००.००
17. ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऋण	४३६०१	१७५.००	...	१७५.००	...	...	...	...	...	...
18. ग्रामीण विद्युतीकरण	४३६०१	...	...	...	...	...	...	६००.००	...	६००.००
19. अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	४३६०१	...	...	...	...	...	...	६८०.००	...	६८०.००
20. शहरी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु उपाय	४३६०१	...	...	...	...	...	...	५००.००	...	५००.००
21. विकास तथा सुधार सुविधा	४३६०१	...	...	...	...	...	...	२५००.००	...	२५००.००
जोड़		**३२७१५.००**	**...**	**३२७१५.००**	**३४१८०.३३**	**...**	**३४१८०.३३**	**४१५३७.००**	**...**	**४१५३७.००**

इस मांग में संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत राज्यों को ग्यारहवें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिशों के आधार पर देय अनुदान, राज्य आयोजनागत स्कीमों के लिए ब्लॉक अनुदान तथा ऋण; ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऋण, राज्यों को अल्पावधिक अर्थोपाय अग्रिम तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से सहायता आदि के लिए प्रावधान शामिल है। जिस की स्थापना ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पश्चात् की गई है। एनसीपीएफ निधियन इस प्रयोजनार्थ वैयक्तिक आय तथा निगम आय कर पर प्रभारित अधिभार से प्राप्त राशि से किया जाएगा।

ग्रामीण स्तर पर स्थाई मानव विकास के लिए ***"प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)"*** नामक एक नई योजना 2000-2001 में आरम्भ की गई थी। यह स्कीम ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण स्वास्थ्य, पेय जल, प्राथमिक शिक्षा तथा ग्रामीण आवास पर ध्यान केंद्रित करेगी। राज्य प्लान योजना के लिए ब्लाक अनुदानों तथा ऋणों के तहत अनुमान शामिल किए गए हैं। वर्ष 2001-2002 से ग्रामीण सड़क घटक "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के अंतर्गत 100% अनुदान योजना के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। वर्ष 2002-2003 से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, शहरी अवसंरचना सुदृढ़ीकरण के लिए उपाय एवं विकास तथा सुधार सुविधा राज्य आयोजन्के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में अनुमोदित नई योजनाए हैं।

इस अनुदान के अंतर्गत शामिल प्रावधान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्त मंत्रालय द्वारा अंतरित संसाधनों के अंतरण के द्योतक हैं।